रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी, प्रार्थीद्वारा उपलब्ध रसी. विक्रयपत्र व डमी नामान्तरण देखने पर जाहिर आपकि रसी. विक्रयपत्र में 1/2 हिस्से का क्रय हुआ था, जबकि नामान्तरण पूरे हिस्से का बोला हुआ था। अतः सही किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी / FIR के खाते में खरीददार का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाना एवं शेष हिस्सा बदस्तूर रखा जाना उचित है।

3/

3/2/21

तहसीलदार माण्डल
जिला भीलवाड़ा

आदेश

तहसीलदार भीलवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार खरीददार का हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष हिस्सा बदस्तूर रहेगा।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:24:01 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त किया